8 12/25 | पत्रावली पार्वी मालाराम के जरिये अधिवक्ता के माध्यम से अदकी आवेदक पर आज पेश हुई।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाय जो इस हुक्म की तारीख में ज़ारी हुए

पार्थी ने मूलवाद को विद्रो करवा लिया
है अतः पार्थी के आवेदन अं. धारा
21/2 RM का कोई औचित्य नहीं है
अतः इसी स्तर पर पार्थीका आवेदन
अं. धारा 21/2 RM खारिज किया जाता
है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
से गायब दाखिल अभिलेख हो।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ